



F-07-08
F-07-11

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 498 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 498

विषय / Sub: अल्टिमेट्रिक स्विच, पार्ट सं. 1648 00 000

Altimetric Switch, Part Number 1648 00 000

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित "अल्टिमेट्रिक स्विच" पार्ट सं.: 1648 00 000 को संदर्भ सं. एरो/आरडी-125/140/76, दिनांक 28 जनवरी 1986, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 498, जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 498 / आर, दिनांक 21 नवंबर 2013 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

This is to state that the "Altimetric Switch" bearing the Part Number 1648 00 000, designed, developed and manufactured by Aerospace Systems & Equipment Research & Design Centre (ASERDC), M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow - 226 016 was issued with Type Approval No.: 498 vide Ref. No.: Aero/RD -125 /140/76, dated: 28th January 1986 and was subsequently issued renewal vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA - 498 - R, dated: 21st November 2013 with validity up to 31st December 2018.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, बाराबंकी रोड, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, Barbanki Road, Lucknow - 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 498, दिनांक 28 जनवरी 1986 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA - 498, dated: 28th January 1986 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency].”

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA - 498/2R

दिनांक/ Date : 15 December 2018

फैक्स सं. / Fax No.: 080 - 2523 0856

07/12/18
HR


पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)